बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–FC/40/2021- 277

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 05/03/2025

विषय– श्रीमती कामिनी कुमारी द्वारा सारण जिलान्तर्गत तुजारपुर मौजा के खाता संख्या–16, खेसरा संख्या–699, थाना– संख्या–392, अंचल–नगरा में खैरा–मढ़ौरा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/BR/Approach/125768/2021/528, दिनांक 27.08.2024

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 18.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है–

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 27.08.2024 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**	
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू० 8,97,311.00 (रू० आठ लाख सत्तानबे हजार तीन सौ ग्यारह) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270125768204, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. IDIBR52024102241720815 है । उक्त राशि

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.018 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.018 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9,57,780/– प्रति हे० की दर से कुल रू० 17,240/– (सतरह हजार दो सौ चालीस रूपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No. 1506270125768204, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. IDIBR52024102241720815 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-protal ……..	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2024 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from …….	पयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 18.02.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण से निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्त्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B:	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:**	
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall ……..	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per …….	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि

d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	Any other conditions that the Ministry of Environment, ...	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्त्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage– I) में अधिरोपित सभी शर्त्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.018 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage – II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/40/2021- 277 दिनांक– 05/03/2025

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान /वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा एवं श्रीमती कामिनी कुमारी, द्वारा–श्री मुरारी सिंह, सारण एकाडमी स्कूल पथ दहियावां, सारण, पिन–841301 को सूचना हेतु प्रेषित।

05/03/25

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

05/03/25

Proforma

<table>
<tr><td>1</td><td>Name of Regional Office</td><td>Eastern Region, Ranchi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates</td><td>Bihar/Saran/ Saran Forest Division, Chhapra.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Name of User Agency nature of proposal</td><td>Smt. Kamini Kumari/ IOCL Retail Outlet</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Extent of forest area involved</td><td>0.018 Ha.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Whether Original, or extension</td><td>Original</td></tr>
<tr><td>6</td><td>If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Date of 1st stage Clearance</td><td>27.08.2024</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">Extent of CAMPA charges head wise viz.</td></tr>
<tr><td></td><td>a.Compensatory Afforestation</td><td>8,97,311/-</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Additional CA</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>C. Penal CA</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Catchment Area Treatment</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Wildlife Management Plan</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td></td><td>g. Net present Value</td><td>17,240/-</td></tr>
<tr><td></td><td>h. Any other charges/Levies (Pl Specify)</td><td>-NA-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph</td><td>
<table>
<tr><th>S.No</th><th>MODE Remtt.</th><th>UTR No. & Date</th><th>Amount</th><th>Head</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">e-challan</td><td rowspan="2">IDIBR52024102241720815 dt. 22.10.2024</td><td>17,240/-</td><td>NPV</td></tr>
<tr><td>2</td><td>8,97,311/-</td><td>CA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total-</td><td>9,14,551 /-</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance</td><td>As above.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Bank in which deposited, with date of deposition.</td><td>All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 22.10.2024</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Any other remarks</td><td></td></tr>
</table>

05/11/2024

(Surendra Singh)
Signature of APCCF (CAMPA)-

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
आवक संख्या 216
दिनांक 19/02/25
(कैम्पा एवं वन संरक्षण शाखा)

(31)

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक– 18/02/2025

विषय– श्रीमति कामिनी कुमारी द्वारा सारण जिलान्तर्गत तुजारपुर मौजा के खाता संख्या–16 खेसरा संख्या–699, थाना संख्या–392, अंचल–नगरा में खैरा–मढ़ौरा पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक FC/40/2021-717 दिनांक 26.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/125768/2021/528, दिनांक 27.08.2024 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग–A में 1 से 6 एवं भाग–B में 1 से 9 शर्त्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ–

भाग–A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. ~~8,94,632/–~~ 8,97,311/– मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2024 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. IDIBR52024102241720815 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.018 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 17,240/– बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2024 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. IDIBR52024102241720815 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 22. 10.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्त्तें का Compliance report, Ministry के Website-http://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग–B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगी

2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रू. 8,94,632/– मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 22.10.2024 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. IDIBR52024102241720815 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करूगी

4. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

a. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

b. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

c. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

d. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

5. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

6. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

7. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

8 (a) इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(c) इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्त्तें का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्त्तें का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन,

कामिनी कुमारी

कामिनी कुमारी,
द्वारा–श्री मुरारी सिंह
सारण एकाडमी स्कूल पथ दहियावां
सारण 841301

(29)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-10-2024

Agency Name.	**KAMINI KUMARI**
Application No.	**70125768204**
MoEF/SG File No.	**FP/BR/APPROACH/125768/2021**
Location.	**BIHAR**
Address.	**Kamini Kumari, C/o Murari Singh, Saran Academy School Road Dahiyawan Saran BiharSaran**
Amount(in Rs)	**914551/-**

Amount in Words :Nine Lakh Fourteen Thousand Five Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**BIHAR CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**1506270125768204** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note:After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

IDIBA52024102241720815

(28)

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत वैधिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या ...291... दिनांक 08-09-2021

प्रमाणित किया जाता है कि सारण जिला में प्रयोक्ता एजेंसी कामिनी कुमारी, पीता-दुलारपुर मोहम्मदपट्टी, थाना-खैरा, खाता नं0-86,16, खेसरा सं0-330, 699, अंचल-नगरा, थाना- नं0-382, 388, जिला-सारण द्वारा IOCL का रिटेल आउटलेट के वैधिक परियोजना निर्माण कुल किलोमीटर 0.018 में पड़ने वाले पथ पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि 0.018 हे0 रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु, प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 871 दिनांक 22.05.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है एवं जिला सांख्यिकी पदधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-482 दिनांक-29.06.2021 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि 2011 की जनगणना मे उक्त ग्राम में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी शून्य है।

तद्आलोक में प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वैधिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांव में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक ...291... /आ0 दिनांक 08-09-2021

प्रतिलिपि:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.9.21
जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

Scanned with OKEN Scanner

(28)

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या 391 दिनांक 6-9-2021

प्रमाणित किया जाता है कि सारण जिला में प्रयोक्ता एजेंसी कामिनी कुमारी, मौजा-दुरियापुर मोहम्मदपट्टी, थाना-खैरा, खाता नं0-85,16, खेसरा सं0-330, 699, अंचल-नगरा, थाना- नं0-382, 388, जिला-सारण द्वारा IOCL का रिटेल आउटलेट के रैखिक परियोजना निर्माण कुल किलोमीटर 0.018 में पड़ने वाले पथ पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि 0.018 हे0 रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक द्वारा दिनांक 22.05.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-462 दिनांक-29.06.2021 के द्वारा उपलब्ध किया गया है कि 2011 की जनगणना मे उक्त ग्राम में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी शून्य है।

तदआलोक में प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित सुरक्षित दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांव मे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सारण, छपरा

अपर समाहर्त्ता
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक 391 /आ0 दिनांक 8-9-2021

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

Scanned with OKEN Scanner